Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Supply Revision No.- 114/2023

Rekha Devi ..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.10.2023	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्त्ति पुनरीक्षण वाद न्यायालय, जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा आपूर्त्ति अपील वाद सं0–541/2022 में दिनांक–28.02.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका ग्राम–नीरपुर, अंचल–धमदाहा, जिला–पूर्णिया के जनवितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति सं0–23/2018 की वैध धारक हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा द्वारा दिनांक–17.06.2022 को इनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। गलत सलाह के कारण इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No. 10042/2022 दायर किया गया जिसे वापस लेते हुए समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष उक्त अपील दायर किया गया जिसमें सुनवाई पश्चात् समाहर्त्ता द्वारा दिनांक–28.02.2023 को अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील अस्वीकृत कर दिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। आवेदिका द्वारा समर्पित कारणपृच्छा को साक्ष्य समर्थित नहीं होने के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि आवेदिका द्वारा दिनांक–17.06.2022 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया और उसी तिथि को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित कर दिये जाने से स्पष्ट है कि इन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आवेदिका द्वारा PDS की दुकान मौजा–नीरपुर, खाता सं0–345, खेसरा सं0–1345 पर संचालित किया जा रहा था जबकि इनके द्वारा अनुज्ञप्ति आवेदन में खाता सं0–30, खेसरा सं0–1404 का उल्लेख किया गया था। इनके द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दो बार व्यापार स्थल बदला गया था। इन्होंने अपने कारणपृच्छा में खतियान एवं भू–लगान रसीद की प्रति के साथ अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा निर्गत ज्ञापांक–319 दिनांक–06.08.2019 तथा ज्ञापांक–397 दिनांक–25.09.2020 की	

Web Copy, Its not Official.

		भी प्रति संलग्न की गई थी जिसपर विचार नहीं किया गया। इन्हें जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं कराये जाने से इनके द्वारा समुचित स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया जा सका। आवेदिका के विरूद्ध कभी भी किसी उपभोक्ता क्रमशः	
	लगातार 13.10.2023	द्वारा कोई शिकायत प्रतिवेदित नहीं है। मात्र राहुल कुमार रमण द्वारा इनके विरूद्ध माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में दिये गये आवेदन के आलोक में उक्त कार्रवाई की गई। आवेदिका द्वारा अनुज्ञप्ति आवेदन में भूमि का पूर्ण विवरण अंकित किया गया था किन्तु इनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति से दो बार व्यापार स्थल परिवर्तित करने का जिक्र अपने आवेदन में उल्लेख नहीं किया जा सका जो मात्र लिपिकीय/मानवीय भूल है। अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा द्वारा राजनीतिक दबाव में इनकी अनुज्ञप्ति को आनन–फानन में रद्द कर दिया गया जिसपर निम्न न्यायालय द्वारा भी समुचित विचार नहीं किया गया। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, पूर्णिया ने पत्रांक–1587 दिनांक–27.09.2023 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा से प्राप्त कंडिकावार मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार से प्राप्त आवेदन के आलोक में जाँच कराई गई। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, धमदाहा के पत्रांक–54 दिनांक–16.06.2022, अंचल निरीक्षक एवं उनके स्वयं द्वारा दिनांक–19.07.2019 को समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन तथा आवेदिका द्वारा समर्पित साक्ष्यविहीन स्पष्टीकरण से आरोप प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु आवेदन में वर्णित भूमि पर तत्काल किसी प्रकार का भवन/संरचना नहीं था। यद्यपि उक्त भूमि इनके पति के नाम पंजी–II में दर्ज है तथा वर्ष 2018–19 तक भू–लगान भुगतान है तथापि आवेदिका द्वारा तथ्य छुपाने हेतु बार–बार व्यापार स्थल परिवर्तित किया गया। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति में समनुदेशित कर्त्तव्यों तथा दायित्वों का अनुपालन करने में विफल रहने के फलस्वरूप इनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। तथ्य छुपाकर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के कारण समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा आवेदिका के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन में वर्णित भूमि से भिन्न व्यापार स्थल पर दुकान संचालित किये जाने के आरोप के आलोक में उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई है। आवेदिका द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वर्णित भूमि पर बने टीन–टट्टी के घर में दुकान प्रारंभ किया गया था जो जाँच प्रतिवेदन से भी संपुष्ट होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तावित भूमि पूर्णतः खाली एवं कृषि योग्य मात्र नहीं थी। चूँकि व्यापार स्थल गाँव से बाहर रहने से	

Web Copy. Its not Official.

		असुरक्षा एवं उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा विधिवत् अनुज्ञापन प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर व्यापार स्थल परिवर्तित किया गया था, जिसमें कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। आवेदिका ने अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा द्वारा इन्हें जाँच प्रतिवेदन की प्रति बिना उपलब्ध कराये ही कारणपृच्छा की माँग किये जाने का उल्लेख किया है जो तार्किक है। उल्लेखनीय है कि आवेदिका के क्रियाकलाप के विरूद्ध उपभोक्ताओं द्वारा कभी कोई शिकायत प्रतिवेदित नहीं है। आवेदिका द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकार से क्रमशः	
	लगातार 13.10.2023	विधिवत् अनुमति प्राप्त करते हुए व्यापार स्थल परिवर्तित किये जाने से कदाचित तथ्यों को छिपाते हुए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का द्योतक नहीं है। इसमें उनकी कोई गलत मंशा परिलक्षित नहीं होती है। आवेदिका के विरूद्ध पूर्व में कभी कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं है। निम्न दोनों न्यायालयों द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। आवेदिका के पक्ष में निर्गत अनुज्ञप्ति सं0–23/2018 को पुनर्जीवित (Re-store) करने का आदेश दिया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ प्राप्त मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Its not Official.

Web Copy. Its not Official.